न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 14/21 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/59

उनवान

1. ठाकुरदास पुत्र हीरालाल
2. शकुन्तला पत्नि दुर्गा
3. मेघा पुत्र दुर्गा
4. जितेन्द्र पुत्र दुर्गा

} समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम नंदपुरा मजरा बसईनवाव तह0 सैपऊ जिला धौलपुरं

...................अपीलाण्ट

बनाम

1. अमीरी पुत्र मंगला
2. पप्पू
3. मुन्ना
4. शेर सिंह
5. नरेश

} पुत्रगण देवीलाल समस्त जातियान जाटव निवासीगण नंदपुरा मजरा बसईनवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

6. रंजना देवी पुत्री देवीलाल पत्नि जीवनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सौन तहसील खेरागढ जिला आगरा।
7. रतनो
8. रामेश्वर

} पुत्रगण रामदयाल जाति जाटव निवासीगण ग्राम दूबरा तहसील सैपऊ।

9. सुन्दर सिंह पुत्र नत्थो
10. माताप्रसाद पुत्र फद्दी
11. चरनदेवी पुत्री फद्दी

} जाति जाटव निवासी ग्राम नंदपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

12. अचल सिंह पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी बसईनवाव सैपऊ
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.12.2020 प्रकरण संख्या 127/10 शीर्षक ठाकुरदास बनाम अमीरी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेशचन्द श्रीवास्तव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र सिंह राणा व श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–23.04.2024

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय दिनांक 16.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 पेश करते हुये वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 अ में स्वयं को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 के हो रहे गलत इंद्राजो को कलमजन किये जाने एवं अर्जी दावा की मद संख्या 1 ब एवं 1 स में दर्ज विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

आराजी का बँटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने एवं प्रतिवादीगण रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि विवादित आराजी संवत 2010 से 2013 में हाल खसरा नम्बर 686 सुम्मेरा बल्द बूचा के नाम है, जो कि अपीलाण्ट के बाबा हैं। इसी प्रकार संवत 2013–16 में साविक खसरा नम्बर 497 हाल 640 में आधे का सुम्मेरा तथा आधे का मंगला के नाम दर्ज है। संवत 2013–16 में साविक खसरा नम्बर 590/1, 590/2 हाल 766 में काश्त सुम्मेरा नौतोड दर्ज है, संवत 1997 से, संवत 2013–16 में साविक खसरा नम्बर 970 हाल 1172 में 1/4 हिस्सा अमेचन्द, मंगला आदि 3/4 हिस्से के दर्ज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को खण्ड संख्या 1.अ में अपीलाण्ट को तन्हा खातेदार घोषित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलाण्ट यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट ने साविक जमाबन्दीयो को प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलाण्ट से उक्त जमाबन्दीयों को प्रस्तुत करने का मौका देते। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, दावा अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। सुम्मेरा एवं मंगला दोनों सगे भाई है एवं बूचा के लडके हैं। खसरा नम्बर मद संख्या 1 अ ही विवादित हैं। इनमे से भी खसरा संख्या 1172 विक्रय हो चुका है एंव खसरा संख्या 686 अकेले रैस्पो0 के नाम पूर्व से ही खातेदारी में रहा है। शेष खसरा नम्बरान में सुम्मेरा व मंगला के वारिस आधे आधे के खातेदार काश्तकार हैं। सुम्मेरा बडा भाई था। अतः उसने विवादित आराजी पर काश्त अपने नाम दर्ज करा ली। एक भाई की काश्त सभी भाईयो की मानी जावेगी एवं कब्जा भी सभी का माना जावेगा। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के वाद को साबित करने हेतु महत्वपूर्ण तनकी हैं। उक्त तनकी को तय करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट द्वारा जमाबन्दी संवत 2012 से संवत 2020 तक प्रस्तुत नहीं करना अंकित करते हुये एवं मौखिक साक्ष्य में भ्रांन्तियाँ होने के कारण वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि निर्णय पारित करते समय उन्हें किसी दस्तावेज यथा जमाबन्दी आदि की कमी महसूस हुयी, तो उन्हें वादी अपीलाण्ट को उक्त दस्तावेजी की कमी पूर्ति हेतु निर्देशित करना चाहिये था। इस प्रकार सरसरी तौर पर दावा वादी खारिज करना न्यायोचित नहीं रहता है। चूंकि वादी अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में संवत 2010–13

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

एवं जमाबन्दी संवत 2013–16 प्रस्तुत की गयी हैं। जिनमें कुछ विवादित आराजी वादी अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष सुम्मेरा की तन्हा खातेदारी में एवं कुछ आराजी सुम्मेरा एवं मंगला के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। अतः हम उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं एवं अपीलाण्ट को भी निर्देशित करते हैं कि वह अपील में प्रस्तुत दस्तावेजो को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2020 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2024 को वास्ते सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर